न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 253/2018 (2018/00395)

चन्दा उर्फ चांदकंवर पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी केकड़ी जिला अजमेर

———प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर (राज)
2.सूर्यप्रकाश पुत्र जगदीश जाति जाट
3.रामघणी पत्नि सूर्यप्रकाश जाति जाट
4.छोटीदेवी पत्नि रामनारायण जाति जाट
5.सम्पू देवी पत्नि रामराज जाति जाट
6.जीतराम पुत्र रामराज जाति जाट
7घीसा पुत्र रामकरण जाति जाट
8.भागचंद पुत्र मोतीलाल चौधरी जाति जाट
9.हेमराज पुत्र काना जाति बलाई
समस्त निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

——अप्रार्थीगण

अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री सिद्धार्थ सिंह–प्रार्थीयां
एकतरफा कार्यवाही – अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 4.3.21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि करबा केकड़ी की निम्नवर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2069–72मे स्थित है:–

खेवट खतौनी संख्या	ख.नं.	रकबा (हैक्टर म)	किस्म
556–500	3215	0.05 है0	गै.मु.पाल
	3216	0.04 है0	गै.मु.पाल
	3217	0.02 है0	गै.मु.पाल
	3219	1.78 है0	गै.मु.पाल
	3220	0.08 है0	गै.मु.पाल
2487–2266	3214	1.25 है0	बारानी 1

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीयॉ के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी की आराजीयात है जिस पर प्रार्थीयॉ फसल काश्त कर [illegible] प्राप्त करती चली आ रही है। जिसमे दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा व वास्ता [illegible] प्रकार [illegible] हैं। उक्त वर्णित आराजीयात मे अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 09 पड़ौसी के खातेदार काश्तकार [illegible]। उक्त आराजीयात की सीमा स्पष्ट नहीं होने से कभी कभी छोटा मोटा विवाद [illegible] रहती है। जिससे [illegible] गंभीर विवाद हो सकता है। जिससे प्रार्थी [illegible] कृषि भूमि का नाप करवाकर स्थायी सीमा चिन्ह कायम करवाना चाहती है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण सर्वप्रथम दिनांक 05.06.2018 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीयां ने सीमाज्ञान करवाया जो अपूर्ण रहा तथा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:18:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
राजस्व प्रार्थना पत्र 253/2018
चंदा उर्फ चॉदकंवर बनाम राज0 सरकार
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128एल0आर0एक्ट
आदेश दिनांक 4.3.21

05.07.2018 को रेकार्ड प्राप्त किया तबसे निरंतर हो रहा है। अतः चार अनुभवी पटवारियों व दो गिरदावर की टीम गठित कर भूमि का नाप किया जावे। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात को प्रतिवादीगण की उपस्थिति मे सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह कायम किया जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1,7,8,9 बावजूद नोटिस तामिली गैर हाजिर रहे। अन्य अप्रार्थीगण ने नोटिस लेने से इन्कार किया। अतः उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाकर जवाब बंद किया। पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी ने जवाब प्रस्तुत किया। अपने जवाब मे पैरोकार सरकार ने बताया कि सीमाज्ञान का मौका पर्चा संलग्न है, अतिरिक्त कथन मे बताया कि जिसका अवलोकन करने पर पटवारी हल्का केकड़ी 1 से जानकारी करने पर पाया गया कि मौका व नक्शा मे भिन्नता है। वादी का एल0 आर0 एक्ट की धारा 128 का न होकर धारा 131 का प्रतीत होता है।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार का जवाब प्रस्तुत होने पर पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थीयां के लायक अभिभाषक श्री सिद्धार्थ सिंह एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया। उपस्थित पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे बताया कि मौका नक्शा मे भिन्नता है। वादी का एल0 आर0एक्ट की धारा 128 का न होकर धारा 131 का प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी को धारा 131 का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए!

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकड़ी पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादी का एल0आर0ए0 की धारा 128 का न होकर धारा 131 का प्रतीत होता है। प्रार्थीयॉ स्वयं की खातेदारी की आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने का हक अधिकार रखती है उसे बाध्य नहीं किया ज सकता कि धारा 131 का प्रार्थना पत्र पेश करे। पैरोकार सरकार के इस तर्क मे कोई बल नहीं है, अतः उनका यह कथन अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राज0 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीयां पत्थरगढ़ी शुल्क नियमानुसार राज्य सरकार मे जमा करावे। तहसीलदार केकड़ी को आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार पत्थर शुल्क जमा करवाने पर प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी दक्ष कार्मिकों की टीम गठित कर करवायी जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
केकड़ी (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:18:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner